

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110 067

CIC/AA/A/2020/53
CICOM/A/E/20/00029
CICOM/R/E/2020/00055

अपीलकर्ता का नाम: श्री दीपक कुमार पाण्डेय
292/155/55 सी, हिम्मतगंज,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। पिन- 211 016

1.	आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	24.01.2020
2.	आर.टी.आई. आवेदन के जवाब की तिथि	04.02.2020
4.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जिन्होंने जवाब दिया	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सीआईसी।
3.	प्रथम अपील की तिथि	14.02.2020
5.	निर्णय की तिथि	20.02.2020

प्रथम अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य:-

1. अपीलकर्ता ने अपने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कथित तौर पर भेदभावपूर्ण आचरण करने, अपने पद का दुरुपयोग करने, आदि कार्यों से संबंधित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त करने की प्रक्रिया, अधिनियम की संगत धाराएं, उन धाराओं के विवरण, जिनमें मांगी गयी सूचना के प्रकटन को प्रतिबंधित किया गया है, आदि सूचना की मांग कुल 6 बिंदुओं के अंतर्गत की थी।

सीपीआईओ का जवाब :-

2. उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन के जवाब में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सीआईसी ने प्रार्थी को निम्नलिखित सूचना प्रेषित की:

बिंदु संख्या	वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।
1 से 3	
बिंदु संख्या	वांछित सूचना हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन करें, जो कि आयोग के वेबसाइट के लिंक https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-act-hindi.pdf सहित इंटरने में आसानी से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आपके आवेदन से संबंधित अन्य कोई लिखित सूचना उपलब्ध नहीं है।
4 से 6	

C. I. C./के. सू. आ.

RECEIVED

25 FEB 2020

D. No.

Initials

प्रथम अपील का आधार :-

3. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सीआईसी के जवाब से असंतुष्ट होते हुए प्रार्थी ने प्रथम अपील दाखिल किया है, जिसमें प्रार्थी ने स्पष्ट सूचना प्रदान करवाये जाने का आग्रह किया है।

निर्णय :-

4. प्रथम अपील प्रपत्र, आरटीआई आवेदन और सीपीआईओ के जवाब का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपने आवेदन के बिंदु संख्या 1 से 3 के अंतर्गत एक परिस्थिति विशेष का विवरण उपलब्ध कराते हुए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से उससे संबंधित सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराने की मांग की है तथा शेष बिंदुओं के अंतर्गत अधिनियम की संगत धाराओं के विवरण प्रदान करने का आग्रह किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च), जिसमें सूचना को परिभाषित किया गया है के अनुसार, "सूचना, से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, लागूबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है"। अतः एक परिस्थिति विशेष के संदर्भ में विधिक राय उपलब्ध कराना एक जन अधिकारी के दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है।

बहरहाल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में प्रार्थी को सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 का अवलोकन करने की सलाह दी है, जो आयोग के वेबसाइट पर लोक प्रक्षेत्र में उपलब्ध है और जिसकी प्रतियां निःशुल्क डाउनलोड की जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत मामले में अधोहस्ताक्षरी की तरफ से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि अपीलकर्ता प्रस्तुत निर्णय से असंतुष्ट हैं और चाहते हैं, वो केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110 067 के समक्ष इस निर्णय के विरुद्ध 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक : फरवरी 20, 2020

मीना शर्मा
20/2/2020
(श्रीमती मीना बी0 शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 26162290

प्रतिलिपि :-

1. सी.पी.आई.ओ., आर.टी.आई. सेल, सीआईसी, नई दिल्ली।
- ✓ 2. श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सीआईसी, नई दिल्ली।

Recd on
25/2/20
CJ

008 831 05